


पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश:- 27 /2021

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 585/2020 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 22.10.2020 के द्वारा श्री अरविन्द कुमार पुत्र- श्री परशुराम शर्मा, ट्राफिक पोर्टर/सिलौट जिन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड, रॉची द्वारा आयोजित ALP/Technician की परीक्षा में चयनित होने के फलस्वरूप इनके आवेदन पर दिनांक 21.10.2020 से तकनीकी त्याग पत्र की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अब कर्मचारी के पुनः आवेदन दिनांक 10.12.2020 द्वारा अपने पूर्व के तकनीकी त्यागपत्र को वापस लेने संबंधी अनुरोध को देखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 585/2020 दिनांक 22.10.2020 द्वारा स्वीकृत तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 21.10.2020 को रद्द करते हुए पुनः पूर्व के पद पर कार्य पर लेने की अनुमति प्रदान की गयी है। दिनांक 22.10.2020 से 23.11.2020 तक औसत वेतन अवकाश (LAP) एवं 24.11.2020 से 15.12.2020 तक अर्द्ध वेतन अवकाश (LHAP) तथा 26.12.2020 से 17.01.2021 तक बिना वेतन अवकाश (LWP) का अवधि माना जायेगा।

उपरोक्त पर वमपचाप्र/सोनपुर का आदेश प्राप्त है।


(बिजय इंजीनियर)
सकाधि- III
कृते मरेप्र(का0)/सोनपुर
दिनांक: 18 .01.2021

पत्रांक: का/पीसी/अरविन्द कुमार/ट्रा0 पोर्टर/सोन
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वमविप्र/सोनपुर।
02. वमपचाप्र/सोनपुर।
03. स्टेधी/सिलौट।
04. मुकार्याधी/बिल/सोनपुर।
05. संबंधित कर्मचारी।
06. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा/सोनपुर।
07. प्रभारी एसडब्ल्यूएस/सोनपुर को उनके रजि0 संख्या 9313 दिनांक 10.12.2020 के संदर्भ में।

कृते मरेप्र(का0)/सोनपुर